

**“ भारत में 90 से 95 प्रतिशत वोटिंग अब सम्भव ”**

**सत्यप्रकाश रेशू—9837058160**



**चुनाव आयोग  
का सपना  
हम-सब का अपना**

Email: reshu.sprakash@gmail.com

विश्व मे सबसे बड़े लोकतन्त्र के सबसे बड़ा महोत्सव “आम चुनाव” हिन्दुस्तान में होते है ! चुनाव आते ही आम जनता के साथ साथ उन वोटरो के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं जो लोकतन्त्र के सबसे बड़े स्तम्भ “ लोकसभा/विधानसभा/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत आदि ” में अपने क्षेत्र के विकास हेतु जनप्रतिनिधि चुनने को अपने मताधिकार का प्रयोग करते है ! परन्तु चुनाव आयोग एवं सरकारों के अथक प्रयासों के बावजूद भी 60–65 प्रतिशत औसतन मतदान हो पाता है क्योंकि ज्यादातर वोटरो के मन में अब अनेक प्रकार के प्रश्न आने लगे! जैसे “नेताओं को वोट के बदले राजगददी, वोटर को क्या मिलता है?” साथ ही अत्याचार, भ्रष्टाचार, नेतागिरी व तानाशाही से तंग आकर संघर्ष, आन्दोलन, विरोध, प्रतिकार, सत्याग्रह या महासंघर्ष करने की बात मन में आती हैं !

अब वोटरो के साथ-साथ जनता के मन में भी यह बात आने लगी कि जब हमारी वोट से नेताओं को सीधे राजगददी मिल सकती है तो हमें भी वोट के बदले बहुत कुछ मिलना चाहिए? जिसे सबसे मजबूत, सच्चाई व वास्तविकता के आधार पर संक्षिप्त शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते है कि वास्तव में वोटर को सीधे रूप से जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, जिस कारण लगभग 40 प्रतिशत वोटर मतदान नहीं करते ! जिनमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग की ड्यूटी दे रहे वोटर, पत्रकार, सैना, पुलिस, प्रशासन, साधु समाज, वृद्ध, बीमार, अनपढ़, विद्यार्थी, किसान—मजदूर, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, इमरजेन्सी सेवारत वोटर, व्यापारी, उद्योगपति, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले वोटर, आवश्यक पब्लिक सेवा में कार्यरत वोटर, वोट का महत्व न समझने वाले वोटर, अपने वोटिंग क्षेत्र से बाहर रह रहे वोटर, मतदान की सही जानकारी न रखने वाले वोटर, भय के कारण वोट न डालने वाले वोटर, वोट से ज्यादा अन्य कार्यों को महत्व देने वाले वोटर आदि हैं !

जो 60 प्रतिशत वोटर मतदान करते है उसमें लगभग 25 प्रतिशत को वोट का मतलब मालूम नहीं होता, 10 प्रतिशत ठप्पा होते हैं, 10 प्रतिशत मात्र आपसदारी में मतदान करते है, जिसका कहीं जिक्र

तक नहीं आता या अपना विवेक प्रयोग करे बिना ही एक दूसरे के कहने या जीत की हवा देखकर वोट देते हैं। केवल 15 प्रतिशत वोटर मात्र 8-10 घंटे मतदान करने की अवधि में मतदान कर पूरे देश/प्रदेश/क्षेत्र का भविष्य तय कर देते हैं ! जिससे चुनाव परिणाम आने पर नेताओं को सीधी राजगद्दी मिलती हैं व वोटर को कुछ नहीं मिलता ! तो “ वोटर के मन में आता हैं क्यों न हो एक और सत्याग्रह - एक और महासंघर्ष ” जिससे वोटर को वोट डालने के अपने कर्तव्य के साथ ही बहुत कुछ पाने का अधिकार भी मिलें !

जब बात सत्याग्रह व महासंघर्ष की हो तो देश के महान अनगिनत महापुरुषों, शहीदों व विद्वानों को याद करते हुए वोटर को वोट के बदले क्या मिलें, क्यों मिलें, कैसे मिले जैसे प्रश्नों का उठना व उन प्रश्नों के उत्तर मिलना जरूरी हैं ! लेकिन हमें इससे पहले अध्ययन करना हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिन्दुस्तान के लोकसभा / विधानसभा आदि चुनाव को ध्यान में रखकर अलग - अलग विद्वानों के, अलग - अलग मनों के, अलग - अलग विचार हैं जिनमें से कुछ के विचार बहुत वास्तविक एवं स्पष्ट रूप से मन को छु जाने वाले हैं ! क्योंकि वे विचार सुदृढ़, पारदर्शी, सर्व हिताय के साथ - साथ हिन्दुस्तान को विश्व महाशक्ति बनाने के लिए जागरूक करते हैं ! जिस भारत के ‘ विश्व महाशक्ति बनाने की विचारधारा ’ को विश्व समुदाय भी मान रहा हैं!

परन्तु प्रश्न उठता है कि क्या इस लोकतंत्र में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद जिस समझदारी सूझबूझ एवं उस समय की परिस्थिति में संविधान के ज्ञाताओं द्वारा ब्रिटिश संविधान को भारतीय संविधान में लगभग कोपी करके लागू कराया, क्या यह वर्तमान समय में उचित हैं ! उत्तर बड़ा साफ एवं स्पष्ट हैं “ बिल्कुल नहीं ” क्योंकि जिस देश की गत 71 वर्षों से आर्थिक स्थिति, राजनेताओं की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, शासन तन्त्र की स्थिति के साथ - साथ अन्य स्थिति व जरूरत भी बदल गई हो तो उसका अपना नया संविधान होना जरूरी हैं ! जैसा कि अनेक देशों ने अपनी आजादी के बाद अपने संविधान बनायें !

फिर प्रश्न उठता है कि संविधान कौन बदले ! उत्तर - “ संविधान सरकार बदले ” ! परन्तु सरकार अपने छोटे - बड़े हितों में इस प्रकार उलझी हैं कि उसे संविधान बदलने की बात कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता ! यदि न्यायालयों की बात करें तो उनके क्षेत्र में संविधान बदलना

नहीं बल्कि संविधान का पालन करना हैं ! अन्त में जीता जागता एक उत्तर आता हैं ‘चुनाव आयोग’ अर्थात् आम जनता का मानना हैं कि चुनाव आयोग बहुत कुछ कर सकता हैं, जिसकी जनसाधारण को तुरन्त आवश्यकता भी हैं !

वह क्या हैं जिसकी जनसाधारण व देश को तुरन्त आवश्यकता भी हैं ! वह है Right Voter जो 40 प्रतिशत वोटर मतदान नहीं कर पाते ! वे हैं चुनाव आयोग की डयूटी दे रहे वोटर, पत्रकार, सेना, पुलिस, प्रशासन, साधु समाज, वृद्ध, बीमार, अनपढ़, विद्यार्थी, किसान—मजदूर, सांसद, विधायक, इमरजेन्सी सेवारत वोटर, व्यापारी, उद्योगपति, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले वोटर, आवश्यक पब्लिक सेवा में कार्यरत वोटर, वोट का महत्व न समझने वाले वोटर, अपने वोटिंग क्षेत्र से बाहर रह रहे वोटर, मतदान की सही जानकारी न रखने वाले वोटर, भय के कारण वोट न डालने वाले वोटर, वोट से ज्यादा अन्य कार्यों को महत्व देने वाले वोटर आदि ! इसमें वह प्रबुद्ध वर्ग भी हैं जिसे वोट डालने में कोई फायदा नजर नहीं आता और वह चुनाव महोत्सव में भाग लेने की अपेक्षा Holiday मनाना या Holiday में Pending काम निपटाना ज्यादा बेहतर समझता हैं ! या फिर वह अपने Voting Station से इतना दूर होता हैं कि वहां पहुँचकर वोट डालना उसके लिए अत्यन्त असुविधाजनक या असम्भव हैं ! इसका हल हैं “बहुउद्देशीय वोटर कार्ड” !

लोकसभा/विधानसभा/नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत आदि चुनाव आते ही नये नये नियम व कानून सुनने को मिलने लगते हैं ! जैसे वोटर, वोट / वोटर - कार्ड की बात हर जगह होने लगती हैं, प्रशासन चुस्त हो जाता हैं, पुलिस अपना काम सक्रियता से करने लगती हैं ! तो नया संविधान व नया बहुउद्देशीय वोटर - कार्ड देश हित में क्यों नहों बनना चाहिए ! जवाब आता हैं हाँ, बनना चाहिए ! जिसकी सही शुरुआत “चुनाव आयोग” की पहल पर वोटर - कार्ड को बहुउद्देशीय वोटर काड में तब्दील करके की जा सकती हैं ! जिस बहुउद्देशीय वोटर - कार्ड को मोबाईल सिम की तरह सभी मोबाईल/सॉफ्टवेयर कम्पनी आसानी से निर्माण करके क्रियान्वित करने में सक्षम हैं ! जिससे नेताओं को वोट के बदले राजगद्दी, वोटर को क्या मिलता हैं वाला भ्रम टूट जायेगा व राजनेताओं की तरह वोटर को भी सीधे तौर पर बहुत कुछ मिलने लगेगा !



**चुनाव आयोग**  
**का सपना**  
**हम-सब का अपना**

Email: reshu.sprakash@gmail.com

हम प्रणाम करते हैं संविधान रचियता डा० भीमराव अम्बेडकर व पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को, जिन्होनें आम जनता में 18 वर्ष व अधिक के नागरिकों को वोट डालकर अपना प्रतिनिधी चुनकर देश के चहमुखी विकास के लिए संविधान में व्यवस्था की ! जिससे जनप्रतिनिधियों के रूप में हर क्षेत्र से जन प्रतिनिधि जा सकें एवं जन साधारण की हर समस्या को ध्यान में रखकर देश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिनिधित्व कर सकें !

परन्तु देश के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर ऐसा नहीं हुआ ! क्योंकि ज्यादातर नेता वोटरों को बहकाकर, स्वार्थ-सिद्धी, धन-संग्रह, परिवारवाद, गुण्डागर्दी, जातिवाद जैसे घृणित कार्यों में लग गये तो वोटरों के पक्ष पर चिंतन करके अनेक विद्वानों के साथ सत्यप्रकाश रेशू ने सन् 2000 के लगभग शोध किया कि वोट के बदले वोटर को भी बहुत कुछ मिलना चाहिये अर्थात् फिर वही प्रश्न उठता है कि वोटर को क्यों, क्या, कैसे मिलें ?

### वोटर को वोट के बदले क्यों मिले :

जब किसी जनप्रतिनिधी को एक सांसद, विधायक, मन्त्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य किसी पद की राजगददी वोटर की वोट से मिल सकती हैं, या कहिये जब एक नेता को वोटर की वोट के बदले जनप्रतिनिधी के रूप में राजगददो, सम्मानित पद, सुख, सुविधा, ऐशो आराम, आर्थिक उपलब्धता सीधे रूप से हो सकती हैं तो इस देश को क्रियाशील करने वाले हर वर्ग के वोटर को बहुउद्देशीय कार्ड से बहुत कुछ मिलना चाहिए ! जो बहुउद्देशीय कार्ड दिलाना चुनाव आयोग व सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है ! जिसे मोबाइल/सॉफ्टवेयर कम्पनियाँ बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से बनाकर वोटर को उसके पते पर उपलब्ध कराने में सहयोगी रहेगी ! आज के आई.टी. युग में तो हर वोटर अपने मोबाइल नम्बर से भी अन्य कार्यों की तरह मतदान कर सकते हैं!

तो फिर प्रश्न उठा वोटर को नये बहुउद्देशीय कार्ड से वोट के बदले क्या मिलें, कैसे मिले जिससे देश के आम चुनाव से तुरन्त नेताओं की तरह सभी वोटरों को भी सीधे लाभ हो ! पहले हम नये बहुउद्देशीय वोटर कार्ड से सभी को तुरन्त होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं ! वे हैं आम चुनाव में वर्तमान खर्च से मात्र 20 प्रतिशत खर्च अर्थात् 80 प्रतिशत की बचत, बिना पुलिस, बिना छुटटी, बिना लड्डाई, बिना मारकाट, 90 से 95 प्रतिशत सही वोटिंग, हर जगह हर वर्ग के लिए बहुत आसानी से सम्भव हो सकता है तो “ क्यों ना हो एक ओर सत्याग्रह एक ओर महासंघर्ष ” की शुरूआत ! बहुउद्देशीय वाटर कार्ड के लिए अर्थात् चुनाव आयोग के माध्यम से नया वोटिंग सिस्टम अवश्य अपनाया जाये ।

### बहुउद्देशीय वोटर कार्ड क्या है :

बहुउद्देशीय वोटर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो मोबाइल के सिम के रूप में वोटर के पास सुरक्षित पैक में हो ! जिसके उपर मैनूअल वोटर की डिटेल हों व साथ-साथ सिम के अन्दर पूरा वोटर का रिकार्ड हो अर्थात् उसका नाम, पता, परिवार का संक्षिप्त विवरण मय फोटो ताकि उसी कार्ड से कोई भी वोटर कही भी रहते हुए अपनी वोट 8 घंटे के स्थान पर 24 घंटे में कभी भी अपनी इच्छानुसार बिना काम छोड़े, बिना डर के, बिना किसी दबाव के अपनी डयूटी पर रहते हुए कर सकते हैं जैसे आज हम अपनी पसन्द से कोई भी SMS मोबाइल से करके वोट करत हैं ! बहुउद्देशीय कार्ड को चुनाव आयोग द्वारा किसी भी चुनाव में वोट करने के लिए दो दिन के लिए या आवश्यकतानुसार खोल दिया जायेगा ! जिसमें चुनाव के 15 दिन पूर्व से क्षत्र के हर प्रत्याशी की डिटेल जैसे नाम, चुनाव चिन्ह - पार्टी का नाम आदि हो तथा वोटर अपनी इच्छा से प्रत्याशी का इतिहास पढ़कर

केवल एक ही वोट कर सकता हैं ! जिन वोटरों के पास मोबाइल नहीं हैं वह सरकारी बूथ पर जाकर चुनाव आयोग की मदद से अपनी इच्छानुसार मतदान कर सकते हैं ! कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के वोटर कार्ड का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता ! क्योंकि यह अंगूठे के निशान या आंखों की पुतली या हस्ताक्षर या कोड नम्बर से ऐकटीवेट होगा। जिनमें से किसी दो का एक साथ मिलना जरूरी होगा।

संक्षिप्त में बहुउद्देशीय वोटर कार्ड का मतलब एक ऐसे कार्ड से है जो भारत में जन्म लेते ही अस्पताल में या सम्बन्धित पालिका से या सम्बन्धित क्षेत्र के किसी भी कार्यालय से माता - पिता के फोटो के साथ बच्चे के परिचय पत्र के रूप में रहेगा जैसे जन्म प्रमाण पत्र रहता है ! जिसे तुरन्त किसी भी मोबाइल / सॉफ्टवेयर कम्पनी के सहयोग से बनाया जाना सम्भव है ! इस बहुउद्देशीय वोटर कार्ड को परिचय पत्र के रूप के साथ - साथ स्कूल में पढ़ने से लेकर जीवन में अनेकों जगह काम में लिया जा सकता है ! जिस पर उसका फोटो जन्म से 3 वर्ष तक हर 6 मास बाद व उसके बाद हर 3 से 5 साल बाद पुराने फोटो के साथ साथ नया फोटो भी लगा दिया जायेगा तथा 18 वर्ष के बाद वह बहुउद्देश्य वोटर कार्ड स्वतः ही वोटिंग कार्ड का काम भी करेगा ! जैसा कि अब बैंक जैसी कई संस्थाओं में होना भी शुरू हो गया है !

अब प्रश्न उठता है कि बहुउद्देशीय वोटिंग कार्ड के और क्या लाभ हो सकते हैं ! इस I.T. के युग में बहुउद्देशीय वोटर कार्ड से कोई भी कार्य करके पहचान पत्र के रूप में इसी कार्ड के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है तथा कोई भी व्यक्ति चाहे सेना में हों, चाहे सरकारी ड्यूटी पर हो, चाहे चुनाव की ड्यूटी पर हो, चाहे पहाड़ में रहता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विदेश में हों या कोई भी वोटर किसी भी कार्य में व्यस्त हों, चुनाव के दिनों में उसका इस बहुउद्देशीय वोटर कार्ड से पूरे देश के साथ-साथ अपने क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों की सूची उपलब्ध होगी ताकि वह अपनी इच्छानुसार उम्मीदवार व पार्टी को 8/10 घंटे के स्थान पर 24 घंटे में बिना किसी को बतायें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मार-काट के, बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी पक्षपात के SMS पद्धति से अपना वोट सही डाल सकें ! जिसके लिए चुनाव आयोग को प्रचार-प्रसार करना अति आवश्यक होगा।

90-95% मतदान कैसे - सुविधाजनक वोटिंग सिस्टम log in - <http://reshusatyaprakash1982.blog.com/>

- सन्याप्रकाश 'देयू'

अब प्रश्न उठता है कि जो लोग अनपढ़ हैं या मोबाईल नहीं रखते वो इस बहुउद्देशीय वोटर कार्ड को कैसे अपनाएंगे ! जो लोग अनपढ़ हैं या मोबाईल नहीं रखते उनके लिए ओर भी आसान होगा कि जिस ढंग से अभी उनका वोटर कार्ड बना है वह अब से बेहतर ढंग से बन जायेगा तथा वे लोग जब अपना बहुउद्देशीय वोटर कार्ड लेकर किसी सरकारी बूथ पर वोट डालने जायेंगे या सरकारी व्यवस्था अनुसार पोलियो की दवाई की तरह उनके यहां कोई मतदान करवाने आयेगा तो वोटर कार्ड को वोट के प्रयोग से पहले पूरी चैकिंग के बाद उसका अंगूठा, आंखों की पुतली व हस्ताक्षर भी वोट करने में मदद करेगी ताकि अन्य कोई व्यक्ति किसी अन्य का वोटर कार्ड लेकर मतदान न कर सकें ! इससे लगभग 90 – 95 प्रतिशत तक ठीक वोटिंग बिना धर्म एवं जाति के आधार पर देश के चहुंमुखी हित में होगी ।

जहां तक भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद का विवरण हैं जिसमें कहा गया है कि वोटर को वोट के बदले कोई लालच नहीं होगा अर्थात् कुछ नहीं मिलेगा ! उसको अब समय की मांग के अनुसार बदलना होगा ! जिससे भारतीय व्यवस्था को चलाने वाले 60 प्रतिशत वोटर स्वयं 90 – 95 प्रतिशत तक मतदान करने लगेंगे ! जिससे वोटिंग व्यवस्था का मूलभूत अन्तर स्वयं दिखेगा ! इसी व्यवस्था से भष्टाचार समाप्त होगा ! 400 लाख करोड़ विदेशों में जमा भारतीय धन भारत वापस आ जायेगा एवं भारत विश्व महाशक्ति बन जायेगा !

अब वोटर को वोट के बदले क्यों के बाद क्या मिलें का प्रश्न उठता है ! शोधकर्ता सत्यप्रकाश रेशू के अनुसार वोटर को बहुउद्देशीय वोटर कार्ड के माध्यम से उदाहरण के तौर पर उसके कारोबार में सुविधा, रेलवे रिजेवेशन सुविधा, शिक्षा सुविधा, मकान निर्मित करने में सुविधा, मेडिकल सुविधा, वृद्धा पेशन सुविधा आदि सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये ताकि इस I.T. के युग में किसी भी कार्यालय में किसी भी वोटर को कोई भी रिकार्ड लेकर न जाना पड़े व सरकारी विभाग द्वारा उसी के इस बहुउद्देशीय कार्ड से कम खर्च पर सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें ! क्योंकि वोटर को तो अपने मूल जीवन में सीधे रूप से हो रहे लाभ मतदान करने के लिए अवश्य आकर्षित करेंगे ! जो सरकार व चुनाव आयोग का मुख्य एजेन्डा भी हैं !

# वोटिंग मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ...



- सत्यप्रकाश 'रेशू'

90-95% मतदान कैसे - सुविधाजनक वोटिंग सिस्टम Email: reshu.sprakash@gmail.com

## क्यों मिलें, क्या मिले के बाद कैसे मिलें :

अब प्रश्न उठता है कि वोटर को वोट के बदले कैसे मिलें तो शोधकर्ता सत्यप्रकाश रेशू ने कई वैज्ञानिकों एवं I.T. इण्डस्ट्री के विद्वानों के साथ सोफ्टवेयर बना रहे इंजीनियरों एवं मोबाईल कम्पनियों से बात करके पाया कि आज इस देश के अन्दर आम चुनाव के लिए ऐसे कई सोफ्टवेयर तैयार किये जा सकते हैं जिनके माध्यम से लगभग 100 प्रतिशत सही वोटिंग होगा जैसे SMS से होता है, मोबाईल पर बात व मोबाईल के सिम को किसी भी बात के लिए एकटीव या नोन एकटीव किया जा सकता है जिससे कम समय में कम खर्च पर बहुत कुछ आसानी से मिलना सम्भव होगा ! बहुउद्देशीय वोटर कार्ड से वोटर का रिकार्ड देखकर अनेक सुविधाएं दी जा सकेगी ! जिससे वोटर वोट गेरने को लालायित होगा व उसे भी नेताओं की तरह उपरोक्तानुसार सीधी सुविधाएं मिल जायेगी !

## वोट न डालने वालों पर दण्ड क्यों :

हम अखबारों में अनेक लोगों की ऐसी राय पढ़ते रहते हैं जहां पर वोट न डालने जाने वालों को दण्डित करने की बात, सुविधा न देने की बात जैसे अनेकों सुझाव आते हैं ! जिसके लिए भारत की उस व्यवस्था का अध्ययन करना जरूरी है, जिससे वोटर इच्छा होते हुए व चुनाव आयोग की व्यवस्था होते हुए भी मतदान नहीं कर पाता ! बात करते हैं पोस्ट वोट की ! क्योंकि अनेक वोटर सैनिकों के रूप में देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे होते हैं, अनेक पुलिसकर्मी वोटर कानून व्यवस्था में लगे होते हैं, अनेक सरकारी अधिकारी वोटर काम काज को पूरा कराने में लगे होते हैं, अनेक वोटर कर्मचारी चुनाव को सुचारू रूप से कराने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं ! अनेक कमज़ोर वोटर दबंगों के कारण, अनेक बुजुर्ग वोटर पहाड़ व पिछड़े क्षेत्र में रहने के कारण, वाहन व्यवस्था के अभाव में मतदान नहीं कर पाते, कुछ वोटर व्यवस्था से खिन्न होकर मतदान करने नहीं जाते आदि.. .. ! इसलिए किसी भी वोटर को दण्ड देने के स्थान पर सुविधाएं देकर आकृषित करना बेहतर होगा!

## प्रत्याशी का विकास दृष्टिकोण :

जिस दृष्टिकोण से चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च, सम्पत्ति, पूर्व इतिहास आदि का स्पष्टीकरण भरवाया, उसी दृष्टिकोण से प्रत्याशी से अपने क्षेत्र के प्रति विकास की रूपरेखा का दृष्टिकोण भी लिखित रूप में स्पष्ट कराया जायें !

शोधकर्ता सत्यप्रकाश रेशू के आधार पर भारत में बहुत शीघ्र वह समय आने वाला है जब भारत के जन प्रतिनिधि के रूप में कामगार लोग **लोकसभा/विधानसभा/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत आदि** में पहुंचेंगे तथा अपने क्षेत्र एवं वोटर की हर दुविधा का ध्यान रखते हुए ऐसे संविधान की रचना करेंगे ताकि 80 प्रतिशत भारत का युवक जो झूठे वायदों के पीछे राजनेताओं के चक्कर काटता है, वह अपनी जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति व धनशक्ति, भारत को विश्व महाशक्ति बनाने में लगा देगा और उसी के परिणाम के तहत भारत पुनः विश्व महाशक्ति बनकर उभरेगा ! जिसके लिए नेताओं को वोट के बदले राजगद्दी, वोटर को क्या मिलता है जैसे विषय का सार्थक उत्तर चुनाव आयोग दे सकेगा ।

**सत्यप्रकाश 'रेशू'**

9837058160

रेशू चौक, रेशू विहार,

मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

Email- reshu.sprakash@gmail.com